आयोजनागत
संख्या–924/XXIV(8)/2006–64/2006

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल,
श्रीनगर गढ़वाल।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी)

देहरादून दिनांक 08 नवम्बर,2006

विषय:– **राजकीय पालीटेक्निक देहरादून के अनावासीय एवं आवासीय भवनों के निमार्ण हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक –1746/नि.प्रा.शि./ प्लान–छै–1/2006–07 दिनांक 21.9.2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राजकीय पालीटेक्निक श्रीनगर में टाईप–III के 04 आवासों के निमार्ण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम इकाई देहरादून द्वारा गठित आंगणन रू0 478.29 लाख के सापेक्ष रू0 456.70लाख (रूपये चार करोड़ छप्पन लाख सत्तर हजार मात्र) के आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, इस वित्तीय वर्ष 2006–07 में रू0 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है।

2– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी है, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगंणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगंणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए। एक मद की राशि का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

10- जी.पी. डब्ल्यू फार्म-9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आंगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

11- मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219 (2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आंगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

12- किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आंगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातब्य एवं नार्मस के अनुसार गठित किया जाय तथा उसकी सूचना प्रशासनिक विभाग को भी दे।

13- यदि स्वीकृत धनराशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि न किया जाय।

14- इस संबंध मे होने वाला व्यय संबंधित वित्तीय वर्ष 2006-07 के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 4202- शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 02- तकनीकी शिक्षा- आयोजनागत - 104- बहुशिल्प -00- 03 - राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरुष/ महिला) भवन का निर्माण / सुदृढ़ीकरण - 24- वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

15- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1094/वि0 अनु0-3/2006 दिनांक 7.11.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तरांचल शासन।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून
4. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-3/ नियोजन अनुभाग।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी।
7. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव।